

## कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद रुद्रप्रयाग ।

जनपद के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों ने सहायक अध्यापक एल०टी० एवं प्रवक्ताओं के पदों पर अल्पकालीन शिक्षण हेतु नितान्त अस्थायी रूप से विजिटिंग शिक्षकों का पूल गढ़ित किये जाने हेतु विज्ञापि ।

विज्ञापन संख्या— पत्रांक/333-34/प्रेस विभाग/विजिटिंग शिक्षक/2016-17 दिनांक 11-4-2016 ।

शासनादेश संख्या-151/XXIV-नवसृजित/2015-07(02)/14 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—नवसृजित दिनांक 13 अप्रैल 2015 तथा संशोधित शासनादेश संख्या -307/XXIV-नवसृजित/2015-07(02)/14 दिनांक 08 मई 2015 एवं शासनादेश संख्या-389/XXIV-नवसृजित/2015-07(02)/14 दिनांक 27 मई 2015 एवं शासनादेश संख्या-565/XXIV-नवसृजित/2015-07(02)/2014 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—नवसृजित दिनांक 11 अप्रैल 2016 के क्रम में जनपद रुद्रप्रयाग के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न विधयों में सहायक अध्यापक एल०टी० एवं प्रवक्ताओं के पदों यथा भारतीय अवकाश, बाल्यदेखभाल, अपकाश, चिकित्सावकाश आदि के कारण निम्नांकित पदों पर छात्र हित/जननित में नितान्त अस्थायी व्यवस्था हेतु विजिटिंग शिक्षकों का एक पूल गढ़ित किया जाना है।

**अ— स०अ०एल०टी० संबंध—**

क्र.सं	शाखा	विषय जिसमें पूल विजिटिंग शिक्षकों का पूल गढ़ित किया जाना है।
1	महिला	भाषा, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामान्य व्यायाम, संगीत, गृह विज्ञान।
2	सामान्य	भाषा, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामान्य कला, व्यायाम, कृषि वाणिज्य, संगीत, गृहविज्ञान, संस्कृत उर्दू।

**(अ) — प्रवक्ता संबंध—**

क्र.सं	शाखा	विषय जिसमें पूल विजिटिंग शिक्षकों का पूल गढ़ित किया जाना है।
1	महिला	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, मानिकविज्ञान, रसायनविज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, गृहविज्ञान।
2	सामान्य	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, मानिकविज्ञान, रसायनविज्ञान, गणित, जीवविज्ञान, नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, वाणिज्य, कृषि, कला, मनोविज्ञान।

- 1— संबंधित जनपद में निवासरत हच्छुक अभ्यार्थी जो सहायक अध्यापक एल०टी० हेतु उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक अभ्यार्थी) सेवा नियमावली—2014 यथा प्रथम संशोधित—2014 एवं प्रवक्ता वेतनक्रम हेतु उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संघर्ष) नियमावली—2008 प्राविद्यानुसार शैक्षिक/प्रशिक्षण अहंताधारी हो से सहायक अध्यापक एल०टी० संबंध में प्रवक्ता संघर्ष में अल्पकालीन अवधि के शिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।
- 2— आयु रीमा— अभ्यार्थी आयु दिनांक 1-7-2015 को न्यूनतम 21 एवं अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित अन्यार्थीयों को नियमानुसार आयु रीमा में छुट अनुग्रह होती है।
- 3— आवेदन करने वाले अभ्यार्थी का उत्तराखण्ड राज्य के किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- 4— आवेदन पत्र का प्रालय संबंधित सेवानियमावली एवं उक्ताकित शासनादेश विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड की विभागीय बेत्राइट [www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र का प्रालय विभागीय बेत्राइट से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- 5— इच्छुक/अर्ह अभ्यार्थी निर्धारित प्रालय पर आवेदन पूर्ण कर वाचित समरत अभिलेख सलान कर पंजीकृत पत्र/स्पीड पोस्ट के नाम्यम से नियमानुसार जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
- 6— जनपद स्तर पर अल्पकालीन अवधि में शिक्षण कार्य हेतु अर्ह अभ्यार्थीयों का नरिट/प्रवीणता सूची के अध्यार पर घयन जनपद स्तर पर गढ़ित समीनिग समिलि द्वारा किया जायेगा।

- 7— विषयवार अनुमोदित सूची में से मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा मेरिट के आधार पर काउन्सिलिंग के मालियम से अन्यथियों को सम्बन्धित विद्यालय में स्थानान्तरण/नियमित नियुक्ति/पदोन्नति के छलस्वरूप कार्यभार प्रहण करने, मातृत्व/बाल्य देखभाल अधिकारीकाश से वापस आने तक 89 दिन जो भी पहले हो, तक अनुबन्धित किया जायेगा।
- 8— महिला अम्मार्थी सामान्य शाखा एवं महिला शाखा (दोनों शाखाओं) हेतु पृथक—पृथक आवेदन कर सकती हैं, किन्तु पुलाय अम्मार्थी मात्र सामान्य शाखा में आवेदन करने के पात्र होंगे। महिला एवं पुलाय अम्मार्थी द्वारा एक से अधिक विषयों हेतु पृथक—पृथक आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा। स०३२० एलटी० एवं प्रवक्ता पदों हेतु भी पृथक—पृथक आवेदन किया जाना होगा।
- 9— अम्मार्थी द्वारा अपने निवासस्थान पर हेतु ही आवेदन किया जायेगा।
- 10— निरान्त कामचलाऊ व्यवस्था के लिये संघनित अम्मार्थी के सम्बन्धित विद्यालय में कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक न होने पर अन्य कारणों के संबन्ध में सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य की सरस्तुति पर मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा की सम्बन्धित अम्मार्थी को गठित पूल से पृथक कर दिया जायेगा।
- 11— विजिटिंग शिक्षाको की व्यवस्था हेतु व्यानित अम्मार्थी द्वारा सम्बन्धित विद्यालय में योगदान देने से पूर्ण मुख्य शिक्षा अधिकारी तथा सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा उनके मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जायेगा तथा अम्मार्थी द्वारा निर्धारित अनुबन्ध पत्र सम्बन्धित संस्था के प्रधानाचार्य को प्रस्तुत किया जायेगा।
- 12— उक्त व्यवस्था निरान्त कामचलाऊ एवं छात्र हित/जनहित में की जा रही है, फलस्वरूप गठित पूल में व्यानित अम्मार्थी का नियमित नियुक्ति/विनियमितीकरण एवं अन्य किसी प्रकार के अधिग्राहन हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- 13— अम्मार्थी निर्धारित प्रारूप पर त्पष्ट हस्तालिपी में एवं पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र (समस्त संलग्नकों सहित) 9"X12" के लिफाफे में रखकर आओहस्टाइरी के कार्यालय के पाते पर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से प्रेषित करेंगे। आवेदन पत्र के लिफाफे के कॉपर 'विजिटिंग शिक्षक हेतु आवेदन पत्र, विज्ञापन संख्या..... एवं आवेदित पदनाम\_\_\_\_\_विषय\_\_\_\_\_शाखा.....' (महिला एवं सामान्य) अवश्य अंकित की जाय। आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि दिनांक 22-4-2016 के साथ 5.00 बजे तक है। इसके उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विद्यार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र विभागीय बेचसाइट [www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध है।

आशा से

  
मुख्य शिक्षा अधिकारी  
रुद्रप्रयाग।